315. अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं कर प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।

316. यह कर प्रस्ताव भारत सरकार के वित्त मंत्री महोदय की इस घोषणा को ध्यान मे रखते हुये प्रस्तुत किये जा रहे है कि देश में शीघ्र ही अप्रत्यक्ष करों हेतु नवीन कर व्यवस्था Goods & Service Tax (GST) लागू की जानी संभावित है।

317. अध्यक्ष महोदय, संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम लागू किया जा चुका है जिसके परिणामस्वरूप राज्य में लगने वाले VAT, Entry Tax, Luxury Tax and Entertainment Tax के स्थान पर एकीकृत कर प्रणाली Goods & Service Tax (GST) लागू किया जाना प्रस्तावित है। मैं सदन के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि GST के क्रियान्वयन हेतु संविधान संशोधन विधेयक पर सदन द्वारा अपनी सहमति दी गयी है।

318. GST को लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने वर्ष 2006 में सभी के सहयोग से राज्य में सफलतापूर्वक VAT लागू किया था।

319. हमने वर्ष 2014–15 के बजट में माननीय उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में GST Counsultation Committee गठित किये जाने की घोषणा की थी। इस समिति द्वारा उद्योग तथा व्यापार जगत से GST

http://finance.rajasthan.gov.in

लागू करने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया जा रहा है तथा उनके सुझावों को GST Council के समक्ष रखा जा रहा है।

320. वाणिज्यिक कर विभाग ने GST की तैयारियों के क्रम में आमजन व Stakeholders को जागरूक करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक कर विभाग व उद्योग विभाग के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुये District Level Consultation Committees का भी गठन किया है जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर Stakeholders के साथ Workshops का आयोजन किया गया है ।

321. मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि राजस्थान राज्य के लगभग 80 प्रतिशत पंजीकृत व्यवहारियों द्वारा GST Migration हेतु Primary Enrolment करा लिया गया है। राज्य के सभी अधिकारियों को GST के प्रस्तावित कानून संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राज्य के 75 अधिकारियों को IT Master Trainer के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जो Goods & Service Tax Network (GSTN) के सम्बन्ध में अधिकारियों तथा Stakeholders को प्रशिक्षण देंगे।

322. राज्य में GST लागू करते समय Dealers को आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये संभाग तथा जिला स्तर पर GST help-desk, जयपुर में Centralized Call Centre तथा GST Simulation Centre स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

323. GST व्यवस्था में राज्य सरकार को services पर करारोपण का अधिकार प्राप्त होगा जिससे राज्य का Tax base बढ़ने के साथ–साथ कार्यप्रणाली में IT का Role भी बढ़ेगा। GST व्यवस्था में

http://finance.rajasthan.gov.in

Model GST Law के अन्तर्गत अधिकारियों के पदनाम में भी परिवर्तन प्रस्तावित है। GST के शीघ्र लागू होने की दिशा में वाणिज्यिक कर विभाग के Cadre का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है।

GST लागू करने के क्रम में प्रक्रिया संबंधी सुधार व कदम :

324. GST लागू होने से पूर्व, VAT, Entry Tax, Luxury Tax and Entertainment Tax अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 तथा आगामी वर्षों के कर निर्धारणों के शीघ्र निष्पादन के लिये Deemed Assessment Scheme लाया जाना प्रस्तावित है।

325. वैट अधिनियम के तहत सर्राफा, Gems & Stone, Petroleum Retail Outlet and Tent Dealers आदि के लिये Composition Schemes जारी की गयी हैं। कई व्यवहारी इन Composition Schemes का विकल्प लेने के पश्चात् कुछ शर्तों की यथासमय पालना नहीं करने के कारण, इन योजनाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर सके हैं। प्रस्तावित GST के लागू होने के परिप्रेक्ष्य में ऐसे व्यवहारियों को राहत दिया जाना प्रस्तावित है।

VAT व CST नियमों में संशोधन:

326. Tax Advisory Committee की बैठक में प्राप्त सुझावों तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त ज्ञापनों पर विचार करते हुये व्यवहारियों की कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से VAT, CST, Entry Tax and Entertainment Tax अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों में

http://finance.rajasthan.gov.in

आवश्यक संशोधन व कुछ नवीन अधिसूचनायें जारी किया जाना प्रस्तावित हैं।

327. वर्तमान में वैट नियमों के अन्तर्गत Appellate Authority के समक्ष online अपील प्रस्तुत करने के प्रावधान हैं। किन्हीं कारणों से व्यवहारी पूर्व में online अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। ऐसे व्यवहारियों द्वारा पूर्व में प्रचलित प्रावधानों के अनुरूप अपील प्रस्तुत करने पर उसे मान्यता दिये जाने के साथ ही अपील आवेदन के acknowledgement की copy तथा चालान आदि दस्तावेजों की hard copy Appellate Authority के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

328. वर्तमान में VAT तथा CST Rules के अन्तर्गत घोषणा–पत्र Online generate किए जाने के प्रावधान हैं। ऐसे घोषणा पत्रों को generate करते समय उनमें अंकित की जाने वाली सूचना में त्रुटि होने पर ऐसे त्रुटिपूर्ण घोषणा–पत्रों को निरस्त किये जाने हेतु वर्तमान में अधिकतम एक वर्ष की अवधि में आवेदन किया जा सकता है। कई बार घोषणा–पत्रों में त्रुटि एक वर्ष के पश्चात् भी जानकारी मे आती है। अतः इस व्यावहारिक समस्या को देखते हुये इस अवधि को दो वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।

वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट संबंधी संशोधनः

329. वर्तमान में Contractors जिन्होनें works contract के अन्तर्गत exemption certificate प्राप्त किया हुआ है, को अतिरिक्त कार्य/भुगतान मिलने पर exemption certificate में संशोधन करने हेतु

http://finance.rajasthan.gov.in

60 दिवस में आवेदन करना होता है। व्यावहारिक कठिनाईयों के कारण कई बार इसमें विलम्ब हो जाता है। ऐसे मामलों में राहत देने के लिये प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

330. Awarder को Form VAT-40E online submit किया जाने के प्रावधान वर्ष 2015–16 से लागू किये गये हैं। प्रथम वर्ष होने के कारण कई awarders से इन forms को submit करते समय त्रुटि हो गई हैं। वर्तमान में forms जिसमें त्रुटियां हो गई हैं, को संशोधित करने हेतु 3 माह का समय उपलब्ध है। अतः ऐसे awarders की समस्याओं के निराकरण के लिये वर्ष 2015–16 के लिये Form VAT-40E में संशोधन किये जाने हेतु समयावधि 31.03.2017 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

331. Contractors के लिये TDS का प्रमाण पत्र Form VAT- 40E के आधार पर system से स्वतः generate होता है। इस कारण से Form VAT-40E में संशोधन करने पर TDS प्रमाण पत्र भी संशोधित हो जाता है जिसके कारण व्यवहारियों को return भी संशोधित करना होगा। अतः return के Form VAT-11 को संशोधित करने की समय सीमा दिनांक 15.04.2017 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

प्रवेश करः

332. Yarn पर 2 प्रतिशत की दर से Entry Tax दिनांक 08.03.2016 से लागू है। राज्य के व्यवहारियों के हितों को ध्यान में रखते हुये yarn को exclusively job work के लिये राज्य में लाये जाने पर Entry Tax में दिनांक 08.03.2016 से ही छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम :

333. GST के प्रस्तावित Model Law के प्रावधानों से समानता रखने तथा राज्य के छोटे manufacturers जो सामान्यतः सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की श्रेणी में आते हैं, को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 50 लाख रूपये तक के turnover वाले manufacturers के लिये composition का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है। ऐसे व्यवहारियों के लिये turnover पर कर की दर 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

334. नागौर में निर्मित hand made tool न केवल राष्ट्रीय बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। गत वर्ष इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिये अधिकतम 80 रूपये बिक्री मूल्य तक के कुछ श्रेणी के hand tools को दिनांक 01.04.2016 से कर मुक्त किया था। Combination plier भी एक ऐसा ही hand tool है। अतः 80 रुपये तक के combination plier को दिनांक 01.04.2016 से करमुक्त किया जाना प्रस्तावित है।

335. राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को CST Act के अन्तर्गत रियायती कर दर का लाभ अधिसूचित किया गया है। एक ही मालिक द्वारा ऐसे भिन्न–भिन्न उद्यमों की स्थापना पर किये गये निवेश को club किये जाने के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं होने से व्यवहारियों को रियायती कर दर का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। इस समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से उक्त अधिसूचना में स्पष्टीकरण जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

336. Incentive Scheme, 1987 के अन्तर्गत लाभ लेने वाली units को योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के उपरान्त आगामी 5 वर्षों तक तक औसत उत्पादन करना अनिवार्य था। व्यावहारिक कठिनाईयों के कारण कुछ units इस शर्त का पालन नहीं कर सकी, जिसके कारण CST Act के अन्तर्गत ऐसी इकाईयों के विरूद्ध मांग कायम की गयी है। वर्तमान में ऐसी अधिकांश units बन्द हो चुकी है। ऐसी बन्द हो चुकी units या BIFR के अधीन sick घोषित हो चुकी units जिनके द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ भूमि का बेचान नहीं किया हो, को कर में rebate दिया जाना प्रस्तावित है।

मनोरंजन कर:

337. वर्तमान में Internet Service Providers के माध्यम से cinema tickets बुक करवाने पर ऐसे Internet Service Providers द्वारा online booking सेवाओं के लिये राशि वसूल की जाती है, जिस पर Entertainment Tax देय है। इस राशि पर देय Entertainment Tax को दिनांक 01.08.2014 से मुक्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

विद्युत शुल्क:

338. जयपुर शहर में local transport की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु Metro Rail का संचालन किया जा रहा है। यात्रियों को Metro Rail सेवा कम शुल्क पर निरन्तर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से Jaipur Metro Rail Corporation द्वारा Metro Rail सेवाओं के संचालन व रख–रखाव से सम्बन्धित कार्यों में प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा पर देय

http://finance.rajasthan.gov.in

electricity duty, water conservation cess तथा urban cess से छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

पर्यटनः

339. राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि राज्य के विभिन्न शहरों के लिये पर्यटकों को सस्ती हवाई सेवा उपलब्ध हो। इस हेतु भारत सरकार की Regional Connectivity Scheme (RCS) के अन्तर्गत राज्य में चलने वाली RCS flights के लिये ATF की sale पर कर की दर 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहनः

340. राज्य मे औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये Rajasthan Investment Promotion Scheme -2014 के अन्तर्गत Tax based incentives दिये जा रहे हैं। GST लागू होने पर कर व्यवस्था में परिवर्तन होने से प्रोत्साहन लाभ भी प्रभावित होगें। इस संबंध में उद्योग तथा व्यापार जगत की आशंकाओं के निराकरण हेतु राज्य सरकार के स्तर पर एक समिति गठित की गई है जो GST के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों में औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन व्यवस्था का अध्ययन करके अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेंगी।

341. सरसों राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद है। राज्य में तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा मिले तथा काश्तकारों को उनकी उपज का उचित मूल्य राज्य में ही प्राप्त हो सके इस हेतु राज्य में तेल उत्पादक

http://finance.rajasthan.gov.in

इकाईयों में अधिकाधिक निवेश की आवश्यकता है। Oil Mills की कुछ श्रेणियों को RIPS-2014 के अन्तर्गत प्रोत्साहन लाभ उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सभी श्रेणी की Oil Mills को RIPS-2014 के अन्तर्गत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

342. RIPS-2014 के अन्तर्गत backward area और most backward area में लगने वाले उद्यमों को अतिरिक्त लाभ दिये गये हैं। राज्य के ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में निवेश तथा रोजगार सृजन के अवसरों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से RIPS-2014 के लागू होने की तारीख से निम्नानुसार अतिरिक्त लाभ दिया जाना प्रस्तावित है:–

- भू–रूपान्तरण शुल्क की छूट 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत।
- उद्यम में नियुक्त कार्मिक जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के सम्बन्ध में employment generation subsidy की सीमा सामान्य श्रेणी के कार्मिक के लिये 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रूपये तथा महिला/SC/ST/विशेष योग्य जन श्रेणी के कार्मिक की दशा में 30 हजार से बढ़ाकर 40 हजार रूपये।
- Additional investment subsidy को पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा अति पिछडे क्षेत्रों में 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत।

343. जैसा कि मैंनें पूर्व में उल्लेख किया है कि GST शीघ्र लागू होना संभावित है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इन कर प्रस्तावों में cigarette पर VAT को छोड़कर **VAT, CST, Entry Tax, Luxury**

http://finance.rajasthan.gov.in

Tax and Entertainment Tax अधिनियमों में कोई भी नया कर लगाया जाना प्रस्तावित नहीं है। सभी प्रकार की Cigarettes पर VAT की वर्तमान दर में 15 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

Amnesty Schemes :

344. हमारा प्रयास रहा है कि GST लागू होने से पूर्व VAT, Entry Tax आदि में बकाया मांग का अधिकाधिक निस्तारण किया जावे जिसके लिये हमने वर्तमान वित्तीय वर्ष में कई कदम उठाये हैं जिसमें Late Fee Waiver Scheme, New Amnesty Scheme-2016 व Amnesty Scheme for Entry Tax-2017 प्रमुख है।

345. इन schemes के अन्तर्गत लगभग 37,000 व्यवहारियों ने लाभ प्राप्त किया है। उद्योग तथा व्यापार संघों द्वारा ऐसी schemes को लागू रखने की मांग की गई है। अतः VAT, Entry Tax तथा Motor Vehicle Entry Tax की बकाया मांग के लिये Amnesty Schemes जारी किया जाना प्रस्तावित है।

346. इसके साथ ही Luxury Tax Act तथा Entertainment Tax Act के तहत Amnesty का लाभ दिया जा सके, इस हेतु इन अधिनियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभागः

347. गत वर्ष ancestral property के विभाजन के दस्तावेजों पर stamp duty की दरों को तर्कसंगत किया गया। अब ancestral property से भिन्न सम्पत्ति के विभाजन पर भी stamp duty की वर्तमान दर को

http://finance.rajasthan.gov.in

5 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत तथा registration fees की दर को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम 10,000/– रूपये किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।

348. परिवार के सदस्यों द्वारा एक दूसरे के पक्ष में ancestral property की release deed करने पर stamp duty में रियायत प्राप्त है। Stamp duty में प्रदत्त उक्त रियायत का लाभ बुआ तथा भतीजे द्वारा निष्पादित release deed के दस्तावेजों पर भी दिया जाना प्रस्तावित करती हूँ।

349. सम्पत्ति बेचान की प्रक्रिया में पक्षकारों द्वारा निष्पादित agreement to sale तथा power of attorney के दस्तावेजों पर आम जनता को stamp duty तथा registration fees में राहत प्रदान करते हुए इन दस्तावेजों पर देय stamp duty क्रमशः 3 व 2 प्रतिशत को घटाकर 0.5 प्रतिशत तथा registration fees 1 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम 10,000/– रूपये किये जाने की घोषणा करती हूँ।

350. Rent deed के दस्तावेजों पर stamp duty की गणना के प्रावधानों को सरल करते हुए stamp duty की दरें तर्कसंगत किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 20 साल तक की rent deed पर registration fees को 1 प्रतिशत से घटाकर stamp duty की राशि का 20 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

351. EWS तथा LIG श्रेणी के व्यक्तियों को प्राथमिकता से आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से **मुख्यमंत्री जन आवास**

http://finance.rajasthan.gov.in

योजना–2015 के तहत Urban Local Bodies के साथ–साथ private developers द्वारा पात्र EWS तथा LIG को सीधे आवंटित आवासीय यूनिटों के दस्तावेजों पर भी निर्धारित शर्तों की पूर्ति करने पर stamp duty में क्रमशः 60 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत रियायत प्रदान करने की घोषणा करती हूँ।

352. गत बजट में loan documents without possession पर stamp duty में रियायत प्रदान करते हुए stamp duty 0.15 प्रतिशत तथा अधिकतम 10 लाख रूपये निर्धारित की गई थी। उद्योगों के विकास तथा आवासों के निर्माण हेतु सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करने के उद्देश्य से मैं, इन दस्तावेजों पर stamp duty की अधिकतम सीमा को 10 लाख रूपये से घटाकर 5 लाख रूपये करने की घोषणा करती हूँ।

353. Family Settlement के दस्तावेजों पर registration fees को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.25 प्रतिशत तथा अधिकतम दस हजार रूपये करने की घोषणा करती हूँ।

354. वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उत्पादों के विज्ञापन हेतु निष्पादित agreement तथा शस्त्र अनुज्ञा पत्रों पर stamp duty की दर को तर्कसंगत किया जाना प्रस्तावित है।

355. गत बजट में उच्च शिक्षा के लिए, Rajasthan Startup Policy-2015 के अन्तर्गत राज्य में Startup स्थापित करने के लिए तथा MUDRA योजना के अन्तर्गत non-corporate small business sector को 10 लाख रूपये तक के loan दस्तावेजों तथा वरिष्ठ नागरिकों द्वारा निष्पादित reverse mortgage के दस्तावेजों पर 31 मार्च, 2017 तक

http://finance.rajasthan.gov.in

stamp duty में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की थी। इन दस्तावेजों पर stamp duty की छूट 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।

356. The Rajasthan MSME Policy 2015 के तहत राज्य की बीमार सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाईयों को पुर्नजीवित करने के प्रयोजनों के लिये ऐसी बीमार इकाईयों की अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के दस्तावेजों पर stamp duty में शत–प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने की घोषणा करती हूँ।

357. दस्तावेज पंजीयन के समय भूलवश अधिक जमा stamp duty का refund करने तथा spoiled stamp की राशि के refund के लिए online आवेदन करने तथा उसके लिए समयावधि निर्धारित करने हेतु नियमों में आवश्यक प्रावधान किये जाने प्रस्तावित करती हूँ।

358. भारत सरकार द्वारा बीमार औद्योगिक इकाईयों के ऋणों का बैंक/ वित्तीय संस्थाओं से Asset Reconstruction Company के पक्ष में निष्पादित assignment documents पर stamp duty को माफ किया गया है। राज्य सरकार के स्तर से भी उक्त श्रेणी के assignment documents पर stamp duty को माफ करने सम्बन्धी अधिसूचना जारी किया जाना प्रस्तावित है।

359. औद्योगिक तथा व्यापारिक संगठन तथा रियल एस्टेट से जुड़े संगठनों की मांग को ध्यान में रखते हुए भूमि खरीद के दस्तावेजों पर registration fee में राहत प्रदान करते हुये इसकी अधिकतम सीमा 4 लाख रूपये निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

360. Private company, Partnership firm या unlisted public company के Limited Liability Partnership (LLP) में conversion के सभी प्रमाण पत्रों पर पूर्व में देय stamp duty तथा registration fees की दर को कम करते हुए stamp duty 0.5 प्रतिशत तथा registration fee 1 प्रतिशत और अधिकतम 10 हजार रूपये किए जाने की घोषणा करती हूँ।

361. गत वर्षों से Real Estate Industry में व्याप्त मंदी को ध्यान में रखते हुए Real Estate Industry तथा अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक भूमि के 100 वर्गमीटर से 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों के मूल्यांकन पर 5 प्रतिशत तथा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखंडों के मूल्यांकन पर 10 प्रतिशत रियायत प्रदान करने की घोषणा करती हूँ।

362. नगरीय निकायों द्वारा नियमन के पश्चात आमजन को जारी पट्टों पर stamp duty की रियायत को दिनांक 31.12.2017 तक बढ़ाने की घोषणा करती हूँ।

363. वर्ष 2015–16 के बजट में आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से दिनांक 14.07.2014 तक निष्पादित मध्यवर्ती दस्तावेजों पर stamp duty में रियायत प्रदान की गई थी। मैं दिनांक 14.07.2014 तक निष्पादित ऐसे मध्यवर्ती दस्तावेजों पर interest तथा penalty में शत–प्रतिशत छूट दिये जाने की घोषणा करती हूँ ।

364. आमजन को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से पुराने पंजीकृत दस्तावेजों पर बकाया stamp duty की राशि दिनांक

http://finance.rajasthan.gov.in

30.04.2017 तक जमा कराने पर interest and penalty में 100 प्रतिशत रियायत प्रदान करने की घोषणा करती हूँ।

365. वर्तमान में Development of Basic Infrastructure Facilities तथा गौवंश संरक्षण के लिए stamp duty पर देय सरचार्ज केवल अचल सम्पत्ति से संबंधित कुछ दस्तावेजों पर देय है। मैं सभी दस्तावेजों पर देय stamp duty पर surcharge प्रभारित किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।

366. Licenced stamp vendors को उनके द्वारा collected surcharge की राशि पर 1 प्रतिशत पारिश्रमिक देने की घोषणा करती हूँ।

367. Rajasthan Stamp Act की धारा 5 में sale, settlement or mortgage के transaction को पूरा करने के लिए निष्पादित एक से अधिक दस्तावेजों में से केवल एक मुख्य दस्तावेज पर ही stamp duty देय है तथा शेष सभी दस्तावेज stamp duty से मुक्त है। धारा 5 में equitable mortgage को सम्मिलित करते हुए मुख्य दस्तावेज के अतिरिक्त निष्पादित अन्य प्रत्येक दस्तावेज पर 200/– रूपये stamp duty लिया जाना प्रस्तावित हैं।

368. आगामी वित्तीय वर्ष में राज्य के 200 उप–पंजीयक कार्यालयों को e-panjiyan software से जोड़ा जाना तथा 100 उप–पंजीयक कार्यालयों को e-stamp व्यवस्था से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

369. अचल सम्पत्ति के दस्तावेजों के पंजीयन के समय सम्पत्ति के बाजार मूल्य का सही आंकलन करने हेतु सम्पत्ति का मौका निरीक्षण राज्य के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित किये गये GPS आधारित Rajdhara app या अन्य electronic माध्यम से किये जाने के लिए नियमों में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

370. Stamp vendors के नये लाइसेंस तथा उनके नवीनीकरण की आवेदन प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क के भुगतान को e-panjiyan सॉफ्टवेयर के माध्यम से online किया जाना प्रस्तावित है।

परिवहन विभागः

371. Non-transport vehicle से transport vehicle में category change करने पर तथा इन वाहनों के अनापत्ति प्राप्त कर अन्य राज्यों में पंजीयन होने की स्थिति में राज्य में जमा one time tax के refund आवेदन की अवधि को 3 माह से बढ़ाकर 6 माह किया जाना प्रस्तावित है।

372. Non-transport vehicles पर one time tax का निर्धारण वाहन के लिये dealer द्वारा जारी invoice में दर्शायी गयी कीमत के अनुसार किया जाता है। इसको अधिक तर्क संगत बनाने के मद्देनज़र manufacturer या dealer द्वारा किसी प्रोत्साहन स्कीम के अधीन या अन्यथा दिये गये किसी discount, छूट या रियायत को exclude करते हुए one time tax आरोपित किया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

373. गत वर्ष 12,000 किलोग्राम Gross Vehicle Weight तक के भार वाहन तथा 13 सीट तक बैठक क्षमता वाले private service vehicles के लिये एक मुश्त कर अनिवार्य किया गया था। इस एक मुश्त कर को एक वर्ष में 6 समान किश्तों में जमा कराने का विकल्प दिया गया है। एक मुश्त कर के दायरे को बढ़ाते हुये अब 16,500 किलोग्राम Gross Vehicle Weight तक के ट्रकों और 20 सीट तक बैठक क्षमता वाले private service vehicles तथा contract carriage buses के लिये भी समान प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

374. Construction Equipment Vehicle की non-transport category पर one time tax की दर निर्मित यानों के लिये कीमत का 6 प्रतिशत तथा chassis के रूप में क्रय वाहन पर कीमत का 7.5 प्रतिशत 1 अप्रेल, 2007 से प्रभावी है। अब इस श्रेणी के यानों पर निर्मित यानों के लिये कीमत का 7 प्रतिशत तथा chassis के रूप में क्रय किये गये वाहनों पर कीमत का 8.5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

375. Trade Certificate धारक vehicle manufacturers/ dealers के अधिपत्य में रखे वाहनों पर कर की सीमा two wheeler vehicles के लिये 2000 रुपये प्रति 100 वाहन या उसके भाग के लिये तथा three and four wheeler vehicles के लिये 4000 रूपये प्रति 50 वाहन 31.03.2000 से प्रभावी है। अब ऐसे two wheeler vehicles के लिये 4000 रुपये प्रति 100 वाहन या उसके भाग के लिये तथा three and four wheeler vehicles के लिये 8000 रूपये प्रति 50 वाहन या उसके भाग के लिये किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।

http://finance.rajasthan.gov.in

376. Goods Vehicle तथा Construction Equipment Vehicle के परिवहन श्रेणी के यानों पर Motor Vehicle Tax की अधिकतम सीमा 25000 रूपये वार्षिक 04.10.2002 से प्रभावी है। अब ऐसे वाहनों पर कर की अधिकतम सीमा 35000 रूपये वार्षिक किया जाना प्रस्तावित है।

राजस्व एवं उपनिवेशन विभागः

377. उपनिवेश क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के सभी श्रेणी के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन के पेटे बकाया किश्तों की राशि को 1 अप्रेल, 2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक एक मुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज में छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

स्थानीय निकाय /नगरीय विकास एवं आवासन विभागः

378. आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगरीय निकायों/ नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की तरफ बकाया lease amount एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय ब्याज राशि में 100 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है। इस छूट का लाभ दिनांक 01.04.2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक प्रभावी रहेगा।

379. विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा दिनांक 01.01.2001 से EWS/LIG के आवंटित आवासों की बकाया किश्तों की राशि आवंटियों द्वारा दिनांक

http://finance.rajasthan.gov.in

31.12.2017 तक एक मुश्त जमा करने पर interest तथा penalty में शत–प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

380. आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगर निकायों की तरफ बकाया Urban Development Tax जमा कराये जाने पर देय ब्याज तथा penalty की राशि में शत्–प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है। इस छूट का लाभ दिनांक 01.04.2017 से 30 सितम्बर, 2017 तक प्रभावी रहेगा।

जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग:

381. घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के उद्देश्य के दिनाक 31 दिसम्बर, 2016 तक की जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि एकमुश्त जमा कराये जाने पर interest तथा penalty में शत् प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है। यह छूट 30 जून, 2017 तक बकाया राशि एक मुश्त जमा कराये जाने पर देय होगी।

आधारभूत संरचना का विकास:

382. दस्तावेजों के पंजीयन में आम जन की सुविधा हेतु उपमहानिरीक्षक कार्यालय भीलवाड़ा, बांसवाड़ा तथा उप पंजीयक कार्यालय कोटा–प्रथम, लूनी, जैसलमेर, उदयपुर (प्रथम तथा द्वितीय), राजसमन्द, मालपुरा, निवाई, चाकसू, शाहपुरा, सांगानेर (प्रथम तथा द्वितीय) तथा भिवाड़ी के नवीन भवनों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

http://finance.rajasthan.gov.in

383. वाणिज्यिक कर विभाग के जयपुर स्थित संभागीय कर कार्यालय में अतिरिक्त भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। उदयपुर आबकारी मुख्यालय में अतिरिक्त भवन निर्माण, कोटा में EO, EPF कार्यालय, गंगानगर में DEO कार्यालय, झुन्झुनू, गंगानगर, चुरू, नागौर, बारां, कोटा में AEO, EPF कार्यालय तथा नागौर और कोटपुतली में PO, EPF कार्यालय के भवनों का भी निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

384. इन कर प्रस्तावों से लगभग 40 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय सम्भावित है, तथा 200 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई है।

385. इन कर प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

386. इन प्रस्तुत कर प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति हेतु तथा कुछ और अन्य प्रयोजनार्थ भी अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

http://finance.rajasthan.gov.in